कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक /11151/ न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़, दिनांक 23 / 07 / 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में जिला रायगढ़ के तहसील / विकासखण्ड रायगढ़ के ग्राम देलारी के चौरसिया स्टील प्लांट क्षेत्र में अन्य राज्यों से वापस आकर रह रहे व्यक्तियों में से 03 (तीन) व्यक्ति के कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित पाये जाने के कारण रायगढ़ तहसील के ग्राम देलारी चौरसिया स्टील प्लांट के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जाता है ।

(A) कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1– अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।

2– उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेष तक पूर्णतः बंद रहेंगे।

3– कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदश प्रसारित किये जायेंगे।

4– प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।

5– जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

(B) कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :–

क्र.	गतिविधियां	प्रभारी अधिकारी का पदनाम
1	कानून / पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गष्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था	1–श्री युगल किशोर उर्वशा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ मो. नं. 91657–22700 2–श्री अविनाश सिंह ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ मो. नं. 99261–27870, 94791–93202
2	केवल 01 प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग	श्री के. पी. राठौर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ / स) रायगढ़ मो.नं. 98271–84404
3	कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था	श्री सागर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़ मो.नं. 99935–52401

Scanned with CamScanner

4	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन।	डॉ. जी. एस. पैकरा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लोईंग रायगढ़, मो.नं. 98932–48253
5	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	श्री सागर सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़ मो.नं. 99935–52401
6	कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत प्रतिषत कवरेज	श्री के0 के0 स्वर्णकार, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी रायगढ़, मो.नं. 88276–80227

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक/11141–ए/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 23.07.2020

प्रतिलिपि:–

1– अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
2– सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
3– सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
4– सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
5– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
6– महानिरीक्षक (पुलिस), बिलासपुर जोन, बिलासपुर
—की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
7– पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ (छ.ग) की ओर सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया कोविड–19 के संबंध में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करना सुनिष्चित करें।
8– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
9– अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़
10– आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़
11– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़
12– कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), रायगढ़
13– जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, रायगढ़
14– उप संचालक जनसंपर्क जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाषनार्थ प्रेषित।
15– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रायगढ़
16– तहसीलदार, रायगढ़
17– खण्ड चिकित्सा अधिकारी, लोइंग, रायगढ़
—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
18. सर्व संबंधित ————————————की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner